

SAHARANPUR SMART CITY LIMITED

CIN: U75144UP2018SGC101551

Reg. Office: Gurudwara Road,

Nagar Nigam Campus, Saharanpur-247001 (UP)

Website: www.saharanpursmartcity.com, Email: smartcitysaharanpur@gmail.com

पत्रांकः ५ ७७ / एस.एस.सी.एल / स.पुर / 2024-25

दिनांकः 10107/2024

-: अल्पकालिक पुनः निविदा सूचना ::-

एतद्द्वारा वित्तीय वर्ष 2023—24 के Financial Statement को तैयार करने एंव 2024—25 हेतु सहारनपुर स्मार्ट सिटी लि0, सहारनपुर में फुल टाईम चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म/ सी.एम.ए. फर्म/ अन्य के चयन हेतु डबल बिड सिस्टम (तकनीकी एंव वित्तीय) के आधार पर दिनांक 17.07.2024 अपराहन 04:00 बजे तक निविदाए पुनः आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्में E-Tender Portal से विस्तृत निविदा प्रपत्र एंव शर्ते अंकन रुपये 1,180/— (जी.एस.टी.सिहत) स्मार्ट सिटी लिमिटेड के नाम से ऑनलाईन जमा कर प्राप्त कर सकते है। तथा अपनी निविदा E-Tender Portal पर दिनांक 17.07.2024 को अपराहन 04:00 बजे तक डबल बिड के आधार पर समस्त प्रपत्रों सहित स्वयं प्रमाणित कर डाल सकते है। उक्त निविदाओं को समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 17.07.2024 को अपराहन 04:30 बजे खोला जायेगा। विस्तृत शर्ते, विवरण एंव निविदा प्रपत्र वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

E-Bid Reference	
Publish Date and Time for RFP	दिनांक 10.07.2024 अपराह्नन 06:00 बजे
Last Date and Time for submission of E-Bids	दिनांक 17.07.2024 अपराहन 04:00 बजे
Date and Time of Technical opening Bids	दिनांक 17.07.2024 अपराहन 04:30 बजे
Place of opening of E-Bids	Saharanpur Smart City Limited, Saharanpur
Tender Fees	Rs. 1,180/- (Rupees One thousand one hundred eighty
	only)

अधिशासी अभियन्ता सहारनपुर स्मार्ट सिटी लि0

सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, सहारनपुर में वित्तीय वर्ष 2023—24 व 2024—25 हेतु फर्म के चयन के सम्बन्ध में निर्धारित नियम व शर्ते।

वित्तीय वर्ष 2023—24 के Financial Statement को तैयार करने एंव 2024—25 हेतु सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में फुल टाइम सी0ए0फर्म/सी.एम.ए./अन्य के चयन के सम्बन्ध में विस्तृत नियम व शर्ते निम्नानुसार हैं—

- 1- फर्म आयकर/जी०एस०टी० में पंजीकृत होना चाहिए।
- 2- फर्म में कम से कम एक भागीदार एफ०सी०ए० होने चाहिए।
- 3- फर्म का विगत वर्ष का टर्न ओवर कम से कम 10 लाख वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये होना चाहिए।
- 4— फर्म को सरकारी/अर्धसरकारी संस्थाओं/निजी संस्थान (जिसका वार्षिक टर्नओवर कम से कम 50 करोड़ हों) में कार्य करने एवं एफ०सी०ए० के रूप में होना चाहिए।
- 5— फर्म को किसी पब्लिक कंपनी के खातों को संभालने का अनुभव होना चाहिए व फर्म का किसी सरकारी/अर्धसरकारी संस्थाओं/निजी संस्थान का आय—व्यय से सम्बन्धित बैंक खातों का समाधान विवरण तैयार करने का अनुभव होना चाहिए।
- 6— फर्म का किसी सरकारी/अर्धसरकारी संस्थाओं/निजी संस्थान का ई—टी०डी०एस० फाइलिंग का तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- 7— फर्म को अपनी योग्यता, विशेषज्ञता पंजीकरण तथा अनुभव आदि से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 8— फर्म चयन सम्बन्धित आवश्यक समस्त वांछित अभिलेखो की छाया प्रति पर फर्म के पार्टनर द्वारा हस्ताक्षर कर ई—टेन्डर वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
- 9- फर्म का कार्यालय व शाखा कार्यालय सहारनपुर में स्थित होना चाहिए।
- 10— फर्म का चयन योग्यता एवं निर्धारित शर्ते पूर्ण करने तथा प्रतिस्पर्धात्मक दर के आधार पर किया जाएगा।
- 11— निविदा शुल्क की धनराशि 1180 / रूपये (जी०एस०टी० सहित) Online जमा की जानी है।
- 12— फर्म द्वारा वर्णित कार्यों को किये जाने हेतु ई—टेन्डर की साईट पर न्यूनतम शुल्क रुपये 17,000/— प्रतिमाह के आधार पर प्रोफेशनल फीस (देय जी०एस०टी० सहित) अपलोड किया जाना चाहिये।

13-कार्य एव दायित्व

- (क) प्रत्येक माह लेखा समाधान का कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए मासिक आख्या प्रस्तुत करना होगा तथा नियमानुसार त्रैमासिक आधार पर दो प्रतियों में आयकर का फार्म—16ए तथा वार्षिक आधार पर फार्म तथा व्यापार कर विवरण यथा—समय फाइल करते हुए सूचना उपलब्ध करना होगा। मासिक आख्या में निर्धारित प्रपत्र पर निम्न विवरण उपलब्ध कराना होगा—
 - A- प्राप्ति एवं भुगतान विवरण।
 - B- आय-व्यय विवरण (टेली रिपोर्ट)
 - C- मासिक बैंक समाधान विवरण।
 - D- जी०एस०टी० समाधान विवरण।

उक्त के अतिरिक्त त्रैमासिक आख्या में आयकर विवरण भी सम्मिलित किया जाएगा।

- (ख) फर्म को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तत्काल उपरांत वार्षिक बैलेंसशीट Income and Expenditure 30 मई तक तैयार करना होगा, सी०ए०जी० द्वारा इंपैनल्ड Statutory Auditor एंव CAG Team से ऑडिट कराना सुनिश्चित किया जाना है तथा बैलेंसशीट/ऑडिट से सम्बन्धित Statutory Auditor/CAG द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का ससमय निराकरण करना एंव अनुपालन आख्या तैयार करना।
- (ग) बी०आर०एस० तैयार करने हेतु जिस अवधि का बैंक स्टेटमेन्ट कार्यालय में उपलब्ध नहीं होगा, फर्म द्वारा सम्बन्धित बैंक से प्राप्त किया जाएगा।
- (घ) बैंक समाधान विवरण तैयार होने के पश्चात् सम्बन्धित कैश बुकों में समाधान प्रविष्टियाँ कराने का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा।
- (ड) फर्म को आय—व्यय की विभिन्न नियतकालिक एवं समय—समय पर आवश्यक सूचनाओं को तैयार कर प्रस्तुत करना होगा।
- (च) निर्धारित कार्यों के सम्बन्ध में CEO/ACEO/CFO/CS/DGM-F/F&AO आदि द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार फर्म को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।
- (छ) फर्म को समस्त प्रकार के वित्तीय मामलों का परीक्षण कर अपनी आख्या / हस्ताक्षर सहित दिया जाना होगा।

- (ज) वार्षिक आयकर / जी.एस.टी रिर्टन, Assessment/Refund Claim आदि कार्य शत् प्रतिशत करना।
- (झ) आयकर कटौती (टी०डी०एस०) उपरांत ससमय जमा कराने उपरान्त टी०डी०एस० रिटर्न ससमय फाईल करना।
- (ञ) जीoएसoटीo मासिक रिटर्न (GSTR1, GSTR3B, GSTR7) ससमय जमा कराने उपरान्त फाईल करना।
- (ट) कमचारियों / अधिकारियों के वेतन से ई.पी.एफ. एव ई.एस.आई. की कटौती उपरान्त ससमय जमा कर रिर्टन फाइल करना तथा कमचारियों / अधिकारियों की आपित्तियों का ससमय निस्तारण करना। नई नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों / अधिकारियों को ई.पी.एफ / ई.एस.आई. में जोडना तथा त्याग पत्र देने वाले कर्मचारियों / अधिकारियों को हटाना।
- 14— प्रोक्योरमेंट, विडिंग, सरकारी सेक्टर, स्मार्ट सिटी में कार्य करने का कम से कम तीन वर्ष का पूर्ण कालिक अनुभव को विरयता दी जायेगी तथा फर्म का भुगतान माह में सरकारी कार्य दिवसो में उपस्थिति के आधार पर होगा। सभी प्रकार के वित्तीय मामलों का अपडेट बोर्ड मेंम्बर को दिया जाना होगा।
- 15— स्मार्ट सिटी के सभी वित्तीय एवं लेखा संबंधी कार्यो का उत्तरदायित्व होगा एंव समय —समय पर CEO महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाना भी सुनिश्चित करना होगा।
- 16- स्मार्ट सिटी के निविदा संबंधी मामलों का पूर्व परीक्षण किया जाना होगा।
- 17— सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अवकाश के दिनों में भी सूचना तैयार करना अनिवार्य होगा एवं आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय शासकीय कार्यों हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 18— स्मार्ट सिटी के समस्त भुगतानों के बिलों का पूर्व परीक्षण कर हस्ताक्षर करना होगा।
- 19— फर्म द्वारा वित्तीय वर्ष 2023—24 के Financial Statement को तैयार करने एंव 2024—25 हेतु कार्य किया जाना है। कार्य संतोषजनक होने पर आगामी वित्तीय वर्ष में उचित परिश्रमिक वृद्धि के साथ सेवा विस्तार हेतु विचार किया जायेगा। कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा फर्म को 01 माह का नोटिस देते हुए सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
- 20— फर्म द्वारा अनुबन्ध के साथ अंकन रुपये 01 लाख की परफॉरमेन्स गारन्टी एफ.डी/बैंक गारन्टी के रूप में सी.ई.ओ. सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, सहारनपुर के नाम बन्धक कराकर कार्यालय में जमा करानी होगी।
- 21— चयनित फर्म द्वारा कार्यालय में तैनात किये जाने वाले सी.ए की सी.वी. एंव सर्टिफिकेट ऑफ मेम्बरशिप तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कराना अनिवार्य होगी।
- 22— निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त किये जाने का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में निहित होगा।
- 23— स्मार्ट सिटी की Fixed Assets का व्यक्तिगत रूप से भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करना होगा एंव भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट सहारनपुर स्मार्ट सिटी कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
- 24- चयनित फर्म द्वारा कार्यालय में अपनी त्रैमासिक ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी होगी।
- 25— Companies Act 2013 के Schedule -III के अनुसार अचल संपत्तियों पर रिपोर्ट और वित्तीय विवरण तैयार करना होगा।